सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, उदयपुर

(पीठासीन अधिकारी : श्री नरेश बुनकर, आर.ए.एस.)

प्रकरण स. : 01/2018 (निगरानी पंचायत)
RCMS No: 2018/00008

अनवान

1. ग्राम पंचायत ऋषभदेव जरिये ग्राम सेवक पदेन सचिव श्रीमती किस्मत मीणा पत्नि अनिल मीणा, निवासी ऋषभदेव, तहसील ऋषभदेव, जिला उदयपुर।

– प्रार्थी / निगरानीकर्ता

बनाम

1. श्री गमेरलाल भोई पिता छबीलाल भोई निवासी बापू बाजार, तहसील ऋषभदेव, जिला उदयपुर।

– विपक्षी / रेस्पोडेन्ट

उपस्थित

1. श्री रोशनलाल जैन, अधिवक्ता निगरानीकर्ता।
2. श्री लोकेश मेनारिया, अधिवक्ता विपक्षी / रेस्पोडेन्ट।

निगरानी अंतर्गत धारा 97 राजस्थान पंचायती राज अधिनियम,1994
विरूद्ध आदेश ग्राम पंचायत ऋषभदेव, पंचायत समिति ऋषभदेव, आदेश दिनांक 04.08.2010

* निर्णय *

दिनांक– 31-07-2019

प्रकरण मे संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि निगरानीकर्ता ग्राम पंचायत ऋषभदेव द्वारा यह निगरानी अंतर्गत धारा 97, राजस्थान पंचायती राज अधिनियम, 1994 प्रस्तुत की है कि प्रार्थी ग्राम पंचायत ऋषभदेव मे विपक्षी ने बापी पट्टा हेतु दिनांक 14.09.2009 को बापू बाजार में स्थित अपने मकान के बापी पट्टा हेतु आवेदन किया, जिस पर ग्राम पंचायत द्वारा नियमानुसार कार्यवाही कर मिसल संख्या 40 / 2009 कायम कर आपत्तियां आदि जारी कर विपक्षी को बापी पट्टा दिनांक 04.08.2010 को पुराना गृह विनियमितिकरण नियम 157 (1) / बापी पट्टा राजस्थान पंचायती राज. अधिनियम के तहत जारी किया गया। बापी पट्टा जारी करते से किसी ने भी आपत्ति व्यक्त नहीं की। पट्टा जारी हो जाने के उपरान्त विपक्षी के भाई श्री ओमप्रकाश द्वारा पट्टे मे वर्णित नाप का लेकर आपत्ति प्रस्तुत की गई, जिस पर विपक्षी के भाई श्री ओमप्रकाश द्वारा की गई आपत्ति को वाजिब मानते हुए उक्त प्रार्थना पत्र पेश कर रही है। ग्राम पंचायत द्वारा विपक्षी को जारी पट्टे में सहवन से पूर्व–पश्चिम की साईज जो चौडाई में 18 फीट है को गलती से 36 फीट अंकित हो जाने से उक्त पट्टा निरस्त किये जाने योग्य है। ग्राम पंचायत ऋषभदेव को नियमानुसार विपक्षी को जारी पट्टे मे संशोधन करने का अधिकार प्राप्त नहीं हैं। अतः उक्त पट्टे को न्यायहित मे निरस्त किया जाना आवश्यक हो गया हैं। अतः

निगरानीकर्ता द्वारा प्रस्तुत निगरानी स्वीकार की जाकर विपक्षी को जारी पट्टा दिनांक 04.08.2010 को निरस्त किये जाने का आदेश प्रदान करावें।

प्रकरण बाद जांच दर्ज रजिस्टर कर विपक्षी/रेस्पोडेन्ट को सूचना पत्र जारी किये गये। विपक्षी की ओर से अधिवक्ता श्री लोकेश मेनारिया ने वकालातपत्र पेश कर जवाब पेश किया कि विपक्षी को ग्राम पंचायत द्वारा पट्टा जारी किया गया है एवं अपने ही द्वारा जारी किये गये पट्टे की निगरानी करने का अधिकार ग्राम पंचायत को नही है। धारा 97 के तहत राज्य सरकार या हितबद्ध व्यक्ति ही निगरानी पेश कर सकता है। पट्टा दिनांक 04.08.2010 को जारी किया गया है एवं निगरानी पट्टा जारी करने के 90 दिवस के भीतर ही प्रस्तुत कर देनी चाहिये, किन्तु मयाद अधिनियम के प्रार्थना पत्र में भी विलम्ब बाबत् कोई तथ्य निगरानीकर्ता द्वारा प्रस्तुत नही किये है। इसके अतिरिक्त ग्राम पंचायत द्वारा गलत पट्टा जारी होने की जानकारी दिनांक 03.01.2018 को होना बताया गया है, जो गलत है। राजस्थान पंचायती राज अधिनियम की धारा 61 के अनुसार उक्त आदेश के विरूद्ध अपील करने का प्रावधान था। इसके अतिरिक्त विपक्षी को पट्टा नियमानुसार आवेदन करने पर भौतिक निरीक्षण उपरान्त आपत्तियां प्राप्त कर जारी किया गया है एवं आपत्ति 06 वर्ष बाद प्राप्त होना बताया है जो नियमानुसार नही है। अतः ग्राम पंचायत द्वारा प्रस्तुत निगरानी प्रार्थना पत्र सव्यय खारिज की जावे। प्रकरण में ग्राम पंचायत से पट्टा जारी करने से सम्बन्धित मूल पत्रावली तलब की जाकर प्रकरण में बहस हेतु तिथि नियत की गयी।

बहस हेतु निर्धारित तिथि को उभय पक्ष के अधिवक्ता उपस्थित हुए जिन्होने अपने प्रार्थना पत्र एवं जवाब मे वर्णित तथ्यों को दोहराया। हमने उभय पक्ष की बहस सुनी एवं पत्रावली मे उपलब्ध निगरानीकर्ता ग्राम पंचायत ऋषभदेव के निगरानी प्रार्थना पत्र, विपक्षी के जवाब, अधिनस्थ न्यायालय ग्राम पंचायत ऋषभदेव की पत्रावली का अवलोकन किया व वर्णित तथ्यों पर गंभीरता से मनन किया, जिससे यह ज्ञात होता है कि प्रकरण ग्राम पंचायत ऋषभदेव द्वारा विपक्षी के पक्ष मे जारी किया गया बापी पट्टा संख्या 14820 दिनांक 04.08.2010 को निरस्त कराने हेतु निगरानीकर्ता के निगरानी प्रार्थना पत्र से संबंधित है। उक्त पट्टा ग्राम पंचायत ऋषभदेव द्वारा दिनांक 04.08.2010 को विपक्षी श्री गमेरलाल पिता छबीलाल भोई के पक्ष मे जारी किया जाना पाया गया हैं। उक्त पट्टे मे ग्राम पंचायत द्वारा साईज का अंकन गलत हो जाना न्यायालय को अवगत कराया हैं, किन्तु पत्रावली के अवलोकन से यह ज्ञात होता है कि ग्राम पंचायत द्वारा उक्त पट्टे को जारी करने से पूर्व मिसल संख्या 40/2009 कायम की है, जो दिनांक 20.02.2009 को दायर होकर दिनांक 20.07.2010 को फैसल हुयी है। प्रार्थी द्वारा अपने प्रार्थना पत्र में 18X36 फीट के पट्टे हेतु आवेदन किया जाना तदुपरान्त पडौसियो की तस्दिक, नजीर नक्शा, मौका पर्चा, शपथ पत्र आदि प्राप्त कर आपत्ति आमत्रित कर नियमानुसार विपक्षी को पट्टा दिनांक 04.08.2010 को जारी किया गया है। इस प्रकार विधिक प्रक्रिया अपनाने के उपरान्त पत्रावली दायर होने के लगभग 01 वर्ष से अधिक समय के उपरान्त पट्टा विपक्षी के पक्ष में जारी हुआ है। मात्र पडौसी द्वारा आपत्ति व्यक्त करना पट्टा निरस्ती का आधार बताया

गया है, किन्तु पत्रावली के साथ किसी प्रकार का आपत्ति प्रार्थना पत्र संलग्न नही है। यदि इस प्रकार की आपत्ति ग्राम पंचायत के समक्ष प्राप्त हुयी थी, तो नियमानुसार ग्राम पंचायत को उक्त प्रकरण कोरम में रखा जाना चाहिये था एवं उभय पक्ष को सुनवाई का पर्याप्त अवसर देते हुये कोरम में हुये निर्णय अनुसार प्रार्थना पत्र इस न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जाना चाहिये था। इसके अतिरिक्त ग्राम पंचायत द्वारा स्वयं पट्टा जारी किया गया है एवं गलत पट्टे की जानकारी दिनांक 03.01.2018 को होना बताया जा रहा है, जो नियमानुसार सही प्रतीत नही होता है। पट्टे की साईज किन आधारों पर गलत है, इसका उल्लेख भी ग्राम पंचायत द्वारा निगरानी में नही किया गया है और न ही कोई नक्शा इत्यादि पेश किया है, जिससे पट्टा गलत जारी होना सिद्ध हो सके। ऐसी स्थिति में मात्र आपत्ति के आधार पर ग्राम पंचायत ऋषभदेव द्वारा प्रस्तुत किया गया निगरानी प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना न्यायोचित प्रतीत नही होता है।

अतः निगरानीकर्ता ग्राम पंचायत ऋषभदेव द्वारा प्रस्तुत निगरानी प्रार्थना पत्र अस्वीकार किया जाकर खारिज किया जाता है एवं विपक्षी के पक्ष में मिसल संख्या 40/2009 से जारी बापी पट्टा संख्या 14820 दिनांक 04.08.2010 को बहाल रखा जाता है।

निर्णय आज 31.07.2019 को खुले न्यायालय मे सुनाया गया। प्रकरण फैसल सुमार हो प्रकरण नम्बर से कम किया जावे।

(नरेश बुनकर)
अतिरिक्त जिला कलक्टर
उदयपुर